CGJC070000692026

दा०प्र०क्र –58/2026
अपराध क्रं –127/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मथुरा प्रसाद खूंटे

Form – D		
न्यायालय– कु. साक्षी ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)		
!! निर्णय दिनांक !! **(आज दिनांक 12.08.2026 को घोषित)** दांडिक प्रकरण क्र० 58/2026 (आबकारी वृत्त मालखरौदा के अपराध क्रमांक 127/2025) धारा 34(2) आबकारी अधिनियम संस्थित दिनांक 13.02.2026		
अभियोजन	–	छ०ग० राज्य द्वारा आबकारी वृत्त – मालखरौदा
राज्य की ओर से	–	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह
विरूद्ध		
अभियुक्त		मथुरा प्रसाद खूंटे पिता शिवदयाल खूंटे उम्र 40 वर्ष साकिन जमगहन थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ०ग०)
अभियुक्त की ओर से	–	अधिवक्ता श्री – ए के साहू
Form – E		
घटना दिनांक	–	26/11/2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	–	26/11/2025
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	–	13/02/2026
आरोप विरचित दिनांक	–	07/03/2026
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथी	–	04/04/2026
निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक	–	**12/08/2026**
निर्णय दिनांक	–	**12/08/2026**
दंडित करने की तिथी यदि कोई हो	–	NIL

CGJC070000692026

दा०प्र०क्र –58/2026
अपराध क्रं –127/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मथुरा प्रसाद खूंटे

!! अभियुक्त का विवरण !!

क	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथी	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति दोषसिद्धी	दी गई सजा	विचारण दौरान अभिरक्षा में व्यतित अवधि धारा 468 BNSS हेतु
1	मथुरा प्रसाद खूंटे पिता शिवदयाल खूंटे	26.11.25	27.11.25	धारा 34(2) आबकारी अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	दिनांक 26.11.25 से 27.11.25 तक कुल 01 दिवस

Form – F

अनुक्रमाणिका

क्रं०	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	3
4	स्वीकृत तथ्य	–
5	अभियोजन का प्रकरण	3–4
6	आरोपी की प्रतिरक्षा	4
7	अवधारणी प्रश्न	4
8	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	5–13
9	दंडादेश	12
10	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं मुजरा	14
11	संपत्ति का विवरण	12
12	प्रतिकर आदेश	–

13	निरोध अवधि प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 468 BNSS	14
14	सजा वारंट दंड एवं जुर्माना	–
15	निर्णय की प्रति	1–14

!! निर्णय !!
(आज दिनांक 12.08.2026 को घोषित)

---

1. आरोपी के विरूद्ध छ०ग० आबकारी अधिनयम 1915 की धारा 34(2) के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 26.11.2025 को समय 12.05 बजे आबकारी वृत्त मालखरौदा अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य के मोटर सायकल होण्डा सीडी 110 ड्रीम युमा क्रं सीजी 11 एसी 2388 की डिक्की के अंदर एक पालिथीन की थैली मे रखा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब को विक्रय हेतु परिवहन करना पाया गया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप इस प्रकार है कि – आबकारी वृत्त मालखरौदा के आबकारी उपनिरीक्षक कोमल सिदार, दिनांक 26.11.2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी ग्राम भाठा से परसा अंडा आम रास्ता मे अपने वाहन की डिक्की मे अवैध रूप से विक्रय हेतु परिवहन कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के साथ मुखबीर के बताये जाने पर रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी के वाहन मोटर सायकल के डिक्की के अंदर एक पालिथीन की थैली मे रखा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब मिला। शराब रखने के संबंध में आरोपी को दस्तावेज पेश करने हेतु कहा गया जिसमे आरोपी ने शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नही किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से मौके पर गिरफतार किया गया। प्रकरण मे संपूर्ण विवेचना एवं

साक्ष्य संकलित कर आरोपी के विरूद्ध छ०ग० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. आरोपी के विरूद्ध छ०ग० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध कारित करना अस्वीकार किया तथा प्रतिरक्षा चाहा। आरोपी को BNSS की धारा 351 के तहत प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना तथा प्रकरण में झूंठा फंसाये जाने का कथन किया है तथा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नही देना व्यक्त किया है।

4. **प्रकरण में निम्नलिखित विचारण प्रश्न है कि–**

I. क्या आरोपी ने दिनांक 26.11.2025 को समय 10.30 बजे ग्राम भाठा से परसा अंडा आम रास्ता अंतर्गत आबकारी वृत्त मालखरौदा जिला सक्ती (छ०ग०) की परिसीमा में है, बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य के मोटर सायकल होण्डा सीडी 110 ड्रीम युमा क्रं सीजी 11 एसी 2388 की डिक्की के अंदर एक पालिथीन की थैली मे रखा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब को विक्रय हेतु परिवहन करना पाया गया ?

//विचारणीय बिन्दु I. का सकारण निष्कर्ष//

5. अभियोजन द्वारा साक्षी न्याय कुमार (अ.सा.01), साक्षी यशवंत रौतिया (अ.सा.02) साक्षी चंद्रकुमार महिलांगे (प्र.पी.03), साक्षी नवधा राम (प्र.पी.04) साक्षी/विवेचक कोमल सिदार आबकारी उपनिरीक्षक (अ.सा.05) का परीक्षण कराया गया है।

6. प्रकरण के विवेचक कोमल सिदार आबकारी उपनिरीक्षक **(अ.सा.05)** ने न्यायालयीन कथन में अभिकथन किया है कि 26.11.2025 को मुखबीर सूचना मिली की ग्राम भाठा से परसा अंडा आम रास्ता मे आरोपी अवैध रूप से शराब विक्रय करने हेतु अपने मोटर सायकल होण्डा सीडी 110 ड्रीम युमा क्रं सीजी 11 एसी 2388 से परिवहन कर रहा है । उक्त सूचना मिलते ही उसके द्वारा मुखबीर सूचना एवं सर्च वारंट ना ले पाने का पंचनामा (प्र.पी.01) गवाहो के समक्ष तैयार किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा उन्ही गवाहो को अपने साथ कार्यवाही में शामिल होने हेतु धारा 179 BNSS का नोटिस (प्र.पी.02) दिया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा ग्राम भांटा से परसा अंडा मेन रोड पर हमराह स्टाफ सहित नाके बंदी की कार्यवाही की गई जिस पर आरोपी उनके टीम को देखकर अपने वाहन को वापस मोडकर भागने का प्रयास किया जिसके कारण वाहन का संतुलन एवं अपने वाहन को छोडकर भाग गया तथा उनके टीम के द्वारा आरोपी को दौडाकर पीछा किया परंतु आरोपी पकड मे नही आया जिसके संबंध मे उसने मौके पर ही फरारी पंचनामा (प्र.पी.03) तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है । ततपश्चात आरोपी के मकान पहुचकर आरोपी को अपना तथा अपने स्टाफ एवं दोनो गवाहो का जामा तलाशी दिया गया, जिस पर उनके पास से कागजात, पेन, सील, धागा, स्टाम पेड सील, चपडा, मुद्रांक, जाचं सामाग्री नीला लिटमस पेपर, थर्मामीटर एवं हाईड्रो मीटर के अलावा अन्य कोई अवैध सामाग्री आरोपी को नही मिली, उसके द्वारा जामा तलाशी पंचनामा (प्र.पी.04) तैयार किया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर है ।

7. साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा आरोपी के रिहायसी मकान के उन्ही गवाहो के समक्ष विधिवत तलाशी लेने पर एक पालिथीन की थैली मे रखा 10 लीटर तरल द्रव्य को को बरामद किया गया, जिस पर उसके द्वारा तलाशी व बरामदगी पंचनामा (प्र.पी.05) तैयार किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा आरोपी से जप्तशुदा तरल को उन्ही गवाहो के समक्ष अपने पांच साल के अनुभव एवं विभागीय प्रशिक्षण के आधार पर जांच सामाग्री से परीक्षण किया गया देखने पर मटमैले रंग का तरल द्रव्य, सुघने पर सडे महुआ शराब की विशेष तीक्षण गंध, चखने पर तीखा चरपरा स्वाद। नीला लिटमस पेपर से परीक्षण करने पर पेपर का रंग गुलाबी रंग मे परिवर्तन होना पाया गया, थर्मामीटर एवं हाईड्रोमीटर से तेजी मापने पर तेजी 64.1 यूपी होना पाया गया ।

8. साक्षी ने आगे कथन किया है कि उक्त परीक्षण के आधार पर आरोपी से जप्त शुदा द्रव कच्ची महुआ शराब होना पाया गया तथा नमुना सील मदिरा जांच पंचनामा में अंकित किया गया, उसके द्वारा तैयार मदिरा जांच पंचनामा (प्र.पी.06) है जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा उन्ही दोनो गवाहो के समक्ष आरोपी से जप्ती पत्रक (प्र.पी.08) के अनुसार 10 लीटर कच्ची महुआ शराब को विधिवत रूप से जप्त किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा उन्ही दोनो गवाहो के समक्ष सील मुद्रांक की तीन प्रतियों में नमुना सील, सील पेपर (प्र.पी.07) में अंकित किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा गवाहो के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी.09) तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है । आरोपी के द्वारा घटना स्थल पर छोडे गये मोटर सायकल होण्डा सीडी

110 ड्रीम युमा क्रं सीजी 11 एसी 2388 तथा उक्त मोटर सायकल के डिक्की मे रखा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब के संबंध मे जिला आबकारी अधिकारी जिला सक्ती को प्रकरण मे जप्तशुदा सामाग्री/मादक पदार्थ को अधिहरण करने के संबंध मे पत्र (प्र.पी.19) दिया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा आरोपी के द्वारा घटना स्थल पर छोडकर फरार हुये मोटर सायकल के स्वामित्व के संबंध मे जानकारी प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला जांजगीर चाम्पा को पत्र 142/25 (प्र.पी.21) लिखा था जिस पर उसके हस्ताक्षर है । दिनांक 16.09.25 को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा उक्त मोटर सायकल का पंजीकृत स्वामी का नाम मथुरा प्रसाद पिता शिवदयाल होने की जानकारी लिखित मे दिया था जो (प्र.पी.22) जिसमे उनके पदनाम एवं सील सहित प्रदान किया था।

9. साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा घटना स्थल पर छोडे गये उक्त मोटर सायकल के स्वामी आरोपी मथुरा प्रसाद को अपना पक्ष रखने हेतु पत्र क्रं 149/25 दिनांक 17.09.25 (प्र.पी.23) लिखा था जिस पर उसके एवं आरोपी के हस्ताक्षर है । उसके द्वारा घटना स्थल पर छोडे गये उक्त मोटर सायकल के स्वामी आरोपी मथुरा प्रसाद को अपना पक्ष रखने हेतु पत्र क्रं 151/25 दिनांक 22.09.25 (प्र.पी.24) लिखा था जिस पर उसके एवं आरोपी के पत्नि के हस्ताक्षर है । उसके द्वारा घटना स्थल पर छोडे गये उक्त मोटर सायकल के स्वामी आरोपी मथुरा प्रसाद को अपना पक्ष रखने हेतु पत्र क्रं 154/25 दिनांक 29.09.25 (प्र.पी.25) लिखा था जिसमे स्पष्ट रूप से उसे अंतिम पत्र कर तीन दिवस के भीतर अपन पक्ष रखने हेतु एवं उक्त् पत्र का जवाब न देने की स्थिति मे उसे ही

आरोपी मानकार अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत लेख किया था जिस पर उसके एवं आरोपी के पत्नि के हस्ताक्षर है । उसके द्वारा आरोपी के गांव मकान जाकर गवाहो के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन (कबुली बयान) लिया था जिसमे आरोपी ने बताया कि वह घटना दिनांक को पुलिस को देखकर घटना स्थल पर अपने वाहन एवं उसमे रखे 10 लीटर महुआ शराब को छोडकर भाग जाने का कथन किया, आरोपी का मेमोरेण्डम कथन (प्र.पी.12) है जिस पर उसके एवं आरोपी के हस्ताक्षर है । उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन एवं शराब के संबंध मे आरोपी को नोटिस (प्र.पी.13) दिया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है ।

10. साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा उन्ही गवाहो के समक्ष गिरफतारी पंचनामा (प्र.पी.14) के अनुसार आरोपी की विधिवत गिरफतारी की गई जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा आरोपी की गिरफतारी की सूचना उसके परिजन को दी गई थी जो (प्र.पी.15) है जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा थाना प्रभारी मालखरौदा को आरोपी से जप्त शुदा हाथ भटठी कच्ची महुआ शराब को सील बंद अवस्था मे थाने के मालखाने में सुरक्षार्थ रखने हेतु मालखाना पर्चा एवं मदिरा सहित भेजा गया, जो (प्र.पी.16) है जिस पर उसके हस्ताक्षर है । ततपश्चात थाना प्रभारी मालखरौदा ने मालखाना में जगह नही होने की वजह से स्वंय के मालखाने में रखना सुनिश्चित करे " टीप अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर से उक्त जप्तशुदा मदिरा को वापस कर दिया गया ।

11. साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा थाना प्रभारी मालखरौदा को आरोपी के पूर्व में दर्ज अपराधिक प्रकरणो की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र (प्र.पी.17) लिखा गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उक्त पत्र के जवाब में थाना प्रभारी मालखरौदा द्वारा आरोपी द्वारा के पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरणो की जानकारी (प्र.पी.18) प्रेषित की गई । उसके द्वारा जिला आबकारी अधिकारी जिला सक्ती को उक्त प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री/ मादक पदार्थ का अधिहरण करने व उक्त प्रकरण की सूचना देने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जो **(**प्र.पी. 20) है जिस पर उसके हस्ताक्षर है ।

12. साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा अपने स्वयं के मोबाईल से गवाहों के समक्ष आरोपी से जप्तशुदा सामग्री की वीडियोग्राफी सीडी में तैयार कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा–63 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र (प्र.पी.–27) दिया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर है । उसके द्वारा उक्त सीडी (वीडियो तथा फोटोग्राफ) का कम्प्युटर हैश (#) मान निकाल कर हैश मान प्रमाण पत्र (प्र.पी.–28) दिया गया है । उसके द्वारा प्रकरण मे जप्ती की विडियोग्राफी तैयार कर सीडी तैयार की थी जो आर्टिकल (ए–1) प्रकरण मे संलग्न की गई है । उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया गया प्रतिपरीक्षण में उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि ग्राम जमगहन के किस स्थान पर मुखबीर सूचना एवं सर्च वारंट न ले पाने का पंचनामा तैयार किया गया था उसका उल्लेख नही किया गया है तथा आरोपी के मकान के स्वामित्व संबंधी राजस्व दस्तावेज प्रकरण मे संलग्न नही किया है

13. प्रकरण में अभियोजन साक्षी न्याय कुमार **(अ.सा.1)** एवं यशवंत रौतिया **(अ.सा.2)** ने आरोपी को उसके गांव का होने के कारण से जानना बताया है । उक्त साक्षियो ने अभिकथन किया है कि पुलिस वालो ने उनसे कुछ दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाया था । उसके समक्ष किसी भी प्रकार की कार्यवाही आरोपी के विरूद्ध नहीं हुई थीं। मुखबीर सूचना एवं सर्च वारंट न ले पाने का पंचनामा प्र.पी. 01, धारा 179 BNSS का नोटिस प्र.पी. 02, फरारी पंचनामा प्र.पी.03, जामा तलाशी प्र.पी. 04, तलाशी व बरामदगी पंचनामा प्र.पी. 05, मदीरा जाचं पंचनामा प्र.पी.06, सील पेपर पंचनामा प्र.पी. 07, आबकारी जप्ती पंचनामा पत्रक प्र.पी. 08, घटना का स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 09, पर उनके हस्ताक्षर है। उन्होने पुलिस को कोई बयान नही दिया था। अभियोजन द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होने इस सुझाव से इंकार किया है कि उन्हाने पुलिस को बयान दिया था तथा उक्त साक्षीगण ने (प्र०पी० 10 एवं 11) का कथन पुलिस को देने से इंकार कर अभियोजन कथा का समर्थन नही किया है, जिससे अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नही होती है ।

14. प्रकरण में अभियोजन साक्षी चंद्रकुमार महिलांगे (**प्र.पी.03)**, साक्षी नवधा राम **(प्र.पी.04)** ने न्यायालयीन कथन मे आरोपी की पहचान से इंकार कर किसी कार्यवाही से इंकार किया है किन्तु घटना का स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 11, मकान आधिपत्य पंचनामा प्र.पी. 12 तथा तलाशी पश्चात पंचनामा प्र.पी. 13 पर क्रमशः उनके हस्ताक्षर है तथा अभियोजन कथा का समर्थन नही किया है ।

15. इस प्रकार स्वतंत्र साक्षियों ने न्यायालयीन कथन में जप्तशुदा द्रव्य को लेकर अभियोजन का समर्थन नही किया हैं। उपरोक्तानुसार विवेचक और स्वतंत्र साक्षियों के कथन में जप्तशुदा द्रव्य को लेकर परस्पर विरोधाभास सामने आये हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धाँत है कि स्वतंत्र साक्षीयो के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन द्वारा की गयी कार्यवाही अविश्वसनीय नहीं हो जाती वरन् उस कार्यवाही का अत्यंत सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक विवेचन की जानी चाहिए। विवेचक कोमल सिदार आबकारी उपनिरीक्षक **(अ.सा. 05)** जो कि प्रकरण के विवेचक हैं के द्वारा की गयी कार्यवाही का सूक्ष्मता एवं सतर्कता पूर्वक विवेचन किया जा रहा है।

16. अभियोजन का कहना है कि अभियुक्त के कब्जे से उनके द्वारा जप्ती की कार्यवाही की गयी थी। विवेचक के कथनानुसार मुखबीर सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही की थी । अभियुक्त को धारा 94 BNSS का नोटिस दिये जाने के पूर्व उसकी तलाशी लिये जाने के पहले पुलिस वालो ने स्वयं का, गवाहो का एवं अपने वाहन का जामा तलाशी हेतु किन्तु जिस वाहन पर वे कार्यवाही करने गये थे उस वाहन का जामा तलाशी के संबंध मे विवेचना कार्यवाही मौन है । घटना स्थल का पटवारी नक्शा पेश नही किया गया है । जप्तशुदा द्रव्य को जप्ती पश्चात तथा मालखाना मे रखे जाने के पूर्व किस स्थान पर रखा गया था इस संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है । अभियोजन के द्वारा जुमला 10 लीटर कच्ची महुआ शराब को जप्त किया जाना बताया गया है किंतु किन आधारों पर द्रव्य 10 लीटर था इस संबंध में विवेचना मौन है, अर्थात् तौल पंचनामा की कार्यवाही नहीं किया गया है।

अभियोजन की ओर से की गयी शेष समस्त कार्यवाही का खण्डन उसके स्वतंत्र जप्ती साक्षियों के द्वारा किया गया।

17. प्रकरण में अन्य संपुष्टिकारक साक्ष्य का अभाव है। स्वतंत्र साक्षियों ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धाँत है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे साबित करना होता है। संदेह की स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है।

18. उपरोक्तानुसार संपूर्ण साक्ष्य विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी को संदेह का लाभ देकर **धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक प्लास्टिक पन्नी मे भरा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब को अपील अवधि पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावे । अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

20. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटर सायकल होण्डा सीडी 110 ड्रीम युमा क्रं सीजी 11 एसी 2388 के संबध मे राजसात की कार्यवाही किया गया है । अतः उक्त् वाहन को शासन के पक्ष राजसात किया जावे ।

21. आरोपी के पूर्व जमानत मुचलका भारमुक्त किये जाते हैं तथा आरोपी द्वारा धारा 481 BNSS के तहत् प्रस्तुत जमानत मुचलका आगामी 06 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

22. आरोपी के अभिरक्षा के संबंध में धारा 468 BNSS के तहत् अभिरक्षा अवधि प्रमाण पत्र बनायी जावे।

दिनांक–12.08.2026

स्थान– मालखरौदा

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर, घोषित किया गया।

सही/–
(कु. साक्षी ध्रुव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मालखरौदा, जिला–जाँजगीर चाँपा (छ.ग.

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/–
(कु. साक्षी ध्रुव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मालखरौदा, जिला–जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)

CGJC070000692026

दा०प्र०क्र –58/2026
अपराध क्रं –127/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मथुरा प्रसाद खूंटे

न्यायालय– कु. साक्षी ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

दा०प्र०क्र –58/2026
अपराध क्रं –127/2025
संस्थित दिनांक –13.02.2026

धारा 468 BNSS के अंतर्गत प्रमाण पत्र

क्र.	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	कुल अभिरक्षा अवधि
1	मथुरा प्रसाद खूंटे पिता शिवदयाल खूंटे उम्र 40 वर्ष साकिन जमगहन थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ०ग०)	26.11.2025	दिनांक 26.11.25 से 27.11.25 तक कुल 01 दिवस

दिनांक–12.08.2026
स्थान– मालखरौदा

सही/–
(कु. साक्षी ध्रुव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मालखरौदा, जिला–जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)